न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्या – 2023/18

सिविल प्रकरण संख्याः– 9/2023

तारीख रजू 19.01.2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पश्चिम मध्य रेलवे कोटा।

..........आवेदक

**बनाम**

1. तुलसीदास पुत्र श्री मेघराज, वेण्डर ऑफ मैसर्स शंकरलाल शर्मा रिफ्रेशमेन्ट टी–स्टॉल सं. 01, पीएफ–2/3, सवाई माधोपुर जं./प.म.रे.। घर का पता– हाउसिंग बोर्ड म.नं. 1/398, सवाई माधोपुर (राज.) 322001

(खाद्य कारोबारकर्ता)

2. मैसर्स श्री शंकरलाल शर्मा रिफ्रेशमेन्ट टी–स्टॉल सं. 01, पीएफ–2/3, सवाईमाधोपुर जं./प.म.रे.

(फर्म/लाईसेंसी)

3- Xotik Fruits Pvt. Ltd. 169/5, (71) Panchal Udyog Nagar, Bhim Pore, Daman-396210 (UT)

(निर्माता कम्पनी)

4. श्री अनिल कुमार ठाकुर, नोमिनी, Xotik Fruits Pvt. Ltd. 169/5, (71) Panchal Udyog Nagar, Bhim Pore, Daman-396210 (UT)

(प्रोप./लाईसेंसी)

**न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स –2011**

**निर्णयः–**

दिनांक 13/10/2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी पश्चिम मध्य रेल जबलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री ओम प्रकाश राठौर (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 23.06.2022 को समय 14.30 बजे मैसर्स श्री शंकरलाल शर्मा रिफ्रेशमेन्ट टी–स्टॉल सं. 01, पीएफ–2/3, सवाई माधोपुर जं. का निरीक्षण किया। जहां पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री तुलसीदास खाद्य पदार्थ "Xotik Beverages Mango Delight" की बिक्री कर रहे थे, उनको अपना परिचय दिया। आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय के लिए खाद्य पदार्थ "Xotik Beverages Mango Delight" में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से लगभग 600--600 मिली. की कुल 08 शील्डशुदा बोटल वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत 320/–रूपये विक्रेता को नकद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने मौके पर फार्म सं0 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक द्वारा खरीद शुदा खाद्य पदार्थ "Xotik Beverages Mango Delight" मात्रा [illegible] ML x 4800 ML को 4 बराबर–बराबर भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग में दो–दो शी[illegible] [illegible] लेवल तैयार (04 Part) को धागे से बांध कर प्रत्येक पार्ट को पैक किया ग[illegible] कर लेवल पर आवेदक द्वारा एवं खाद्य कारोबारकर्ता तुल[illegible] दर्ज किया। किये। अभीहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर के कोड एवं कमांक डब्ल्यूसीआर/915 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:40:46 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

इसके पश्चात लेबल को प्रत्येक भाग पर चिपकाया गया। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी पेपर में लपेट कर किनारे गोंद से चिपकाए इसके पश्चात अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर के हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप जिसका कोड एवं स्लिप नं. डब्ल्यूसीआर/915–901 नीचे से उपर तक प्रत्येक पार्ट पर गोंद से चिपकायी तथा प्रत्येक पार्ट को धागे से बांधकर नियमानुसार चार सील चपड़ी की, प्रत्येक पार्ट के उपर–नीचे, दांये–बांए लगायी गयी। इसके बाद प्रत्येक पार्ट पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप एवं रेपर दोनो पर आए तथा आवेदक ने प्रत्येक पार्ट पर हस्ताक्षर किये। नमूना लेकर चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। कारोबारकर्ता तुलसीदास को एक सूचना पत्र उसी समय कार्यवाही के दौरान दिया गया कि उक्त संग्रह किये गये नमूने का चौथे भाग की जांच प्रत्यायित प्रयोगशाला से करवाना चाहते हैं। लेकिन कारोबारकर्ता तुलसीदास ने इस बाबत कोई अनुरोध नहीं किया। कारोबारकर्ता तुलसीदास को उसी समय एक सूचना पत्र दिया गया कि उक्त खाद्य सामग्री उसने कहां से खरीदी है। इसकी खरीद का कोई बिल, बीजक, कैश मेमो, इनवॉइस यदि हो तो प्रस्तुत करें लेकिन खाद्य कारोबारकर्ता तुलसीदास द्वारा इस संबंध में "Xotik Beverages Mango Delight" की खरीद का कोई बिल घटना स्थल पर प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही का मौका फर्द रिपोर्ट तैयार किया गया जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता तुलसीदास, गवाह एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक [illegible] नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एक/02 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई। शेष तीन भाग सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की 3 प्रतियों के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी प.म.रे. जबलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी [illegible] जबलपुर के पत्र क्रमांक पमरे/एचक्यू/एच/एच 0602/एफएसए[illegible] दिनांक [illegible] 12.05.2022 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट [illegible] एक्ट/2022/1075 दिनांक 24.03.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना [illegible] गया खाद्य पदार्थ "Xotik Beverages Mango Delight" का नमूना Mis-branded पाया गया।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तों ने Mis-branded खाद्य पदार्थ "Xotik Beverages Mango Delight" का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

आवेदक ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ "Xotik Beverages Mango" Mis-branded प्रकृति का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:40:46 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अभियुक्त संख्या 1 व 2 ने पेश किये गये जबाव अनुसार बहस में तर्क दिया है कि प्रार्थी संख्या 1 मैसर्स श्री शंकरलाल शर्मा रिफ्रेशमेन्ट टी स्टॉल संख्या 1 प्लेटफार्म नं. 2 व के अधीन वेन्डर के रूप में खाद्य सामग्री बेचने का कार्य करता है और प्रार्थी संख्या 2 रेलवे विभाग की लाईसेन्सी है। वक्त घटना प्रार्थी संख्या 1 द्वारा **खाद्य पदार्थ** ''Xotik Beverages Mango Delight'' को बेचने का काम किया जा रहा था, प्रार्थी संख्या 1 ने न्यू किशना एजेन्सी आदर्श नगर सवाई माधोपुर द्वारा जारी बिल नम्बर 412 दिनांक 19.02.2022 एवं 426 दिनांक 27.02.2022 की प्रति उपलब्ध करवा दी थी। उक्त सामान में किसी भी तरह की मिलावट नहीं पाई गई। उक्त खाद्य पदार्थ के मिसब्राण्ड होने की जिम्मेदारी प्रार्थी सं0 1 व 2 की नहीं है। एफएसएसए 2006 की धारा 42(3) के तहत एवं एफएसएसए 2011 के विनिमय 2011 के रेगुलेशन नं0 3.1.18 कैरी ऑवर आफ फूड एडीटिव्स के अनुसार परमिट किया गया है, जिसके अनुसार उक्त प्रकरण मिसब्राण्ड के आधार पर फैल होने पर उक्त नियम के अधीन आता है। इस आधार पर मिथ्याछाप दर्शाया जाने से उक्त प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य है। 3.1.18 कैरी ऑवर ऑफ फूड एडीटिव्स के अनुसार ''Carry Over'' Principal applies to the presence of additives such as colour flavouring agents anti oxidents anti- caking agents, emulsiying and stabilising agents, and preservatives in food, as a result of the use of raw material of other ingredients in which these additives were used. The presence of contaminants is not covered by this purpose, उक्त आधारो पर यह स्पष्ट है कि उक्त सैम्पल में रॉ मेटिरियल के आधार पर कैरी ऑवर मानते हुए उक्त प्रकरण प्रार्थी के खिलाफ निरस्त किये जाने योग्य है, जिसके लिए प्रार्थी की जिम्मेदारी एवं दायित्व नहीं बनता है। अन्त में वकील अभियुक्त संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थी संख्या 1 व 2 के खिलाफ कार्यवाही निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता अभियुक्त संख्या 3 व 4 के द्वारा प्रकरण में लिखित बहस निम्नानुसार पेश की गई–

- यह कि मिन अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा वृहद स्तर पर पूरे भारत राष्ट्र में अपने उत्पादों का विक्रय किया जाता है तथा मिन अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के उत्पाद काफी लोकप्रिय है। मिन अप्रार्थी संख्या 3 व 4 कम्पनी में क्वॉलिटी कन्ट्रोल एण्ड मैनेजमेन्ट का एक अलग विभाग है, जो कि यह सुनिश्चित करता है कि मिन अप्रार्थी संख्या 3 व 4 कम्पनी से सभी उत्पाद खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम तथा विनियमों पर पूर्ण खरे उतरे ताकि मिन अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के ग्राहकों को मिन अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के उत्पादों के उपयोग से किसी प्रकार की हानि नहीं हो। जांच रिपोर्ट में मिन अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के उत्पाद Xotik Beverages Mango Delight का अपमिश्रित/एल्ट्रेड नहीं पाया जाना भी इसी बात का एक सबूत है।
- यह कि मिन अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के उत्पाद को जांच रिपोर्ट में इस आधार पर Of Regulation No. 2.2.2 (5)(ii) of FSS Packaging and Labelling) Regulations 2011 का उल्लंघन मानते हुए मिसब्राण्डेड माना गया है कि :– --------- and Added Flavours (Natural, Nature Identical and Artifiacial Flavouring Sub-stances, given on the label of the sample but the common name of artificial flavouring substances sed in product not given on the lebel of sample. जबकि Re[illegible] No. 2.2.2(5)(ii) :- स्वाद घोषणाओं पर केन्द्रित है:– विनियमों में यह वि[illegible] सम्बन्धित है कि खाद्य पैकेजिंग पर जोडे गये स्वादों (कृत्रिम और प्राकृतिक/प्रकृति [illegible] दोनों) की घोषणा कैसे की जानी चाहिए। कृत्रिम बनाम प्राकृतिक/प्रकृति समान: विनियम कृत्रिम

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sh
Date: 2025.12.11 10:40:46 IS
Reason: SelfAttested

स्वादों और प्राकृतिक समान स्वादों के बीच अंतर करते हैं। घोषणाओं की आवश्यकताएं, कृत्रिम स्वादः यदि किसी खाद्य उत्पाद में कृत्रिम स्वाद है तो लेवल पर अनुमत कृत्रिम स्वाद शामिल है, लिखा होना चाहिए। प्राकृतिक/प्रकृति–समान स्वाद यदि किसी खाद्य उत्पाद में प्राकृतिक या प्रकृति समान स्वाद है तो लेवल पर कमशः अनुमत प्राकृतिक स्वाद शामिल है या अनुमत प्रकृति समान स्वाद शामिल है, लिखा होना चाहिए।

विशिष्ट स्वाद पहचानः उपरोक्त घोषणाओं के अलावा, कृत्रिम स्वाद का विशिष्ट नाम या प्राकृतिक/प्रकृति समान स्वाद का वर्ग नाम भी लेबल पर उल्लेखित होना चाहिए।

घटक सूची से छूटः– यदि लेबल में 2.2.2 (5)(ii) विनियम के अनुसार कृत्रिम या प्राकृतिक स्वादों के बारे में कथन शामिल है और यह FSS खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम 2011 के विनियमन 3.2.1 का भी अनुपालन करता है तो विशिष्ट स्वादों के घटक सूची में फिर से सूचीबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यह कि मिन अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का उत्पाद है FSS (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम 2011 के विनिमयन 3.2.1 का पूर्ण अनुपालन करता है तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त अपवाद/छूट के अनुसार मिन अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के उपरोक्त उत्पाद Xotik Beverages Mango Delight पर Natural, Nature Identical and Artifiacial Flavouring Sub-stances में common name of artificial flavouring substances विशिष्ट स्वादों की घटक सूची में शामिल किया जाना कानूनन आवश्यक नहीं है तथा मात्र इसी आधार पर मिन अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का उत्पाद मिसब्राण्डेड की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। यह कि मिन अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का उत्पाद Xotik Beverages Mango Delight FSS (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम 2011 के विनियम 3.2.1 एवं Regulation No. 2.2.2 (5)(ii) of FSS Packaging and Labelling) Regulations 2011 की पूर्ण अनुपालना करता है तथा कानूनन मिसब्राण्डेड की श्रेणी में नहीं आता है। यह कि न्यायहित में यह आवश्यक है कि Regulation No. 2.2.2 (5)(ii) of FSS Packaging and Labelling) के विनियम 2.2.2 (5)(ii) की पूर्ण पालना मिन अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा किये जाने के कारण परिवाद की कार्यवाही ड्रॉप फरमायी जावे।

अतः लिखित बहस परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि परिवादी की कार्यवाही ड्रॉप फरमाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1027/एक्ट/2022/1075 दिनांक 24.03.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** "Xotik Beverages Mango" मिसब्राण्डेड प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा पेश की गई बहस में 3.1.18 के अनुसार कैरी ऑवर मानते हुए प्रकरण निरस्त करने का निवेदन किया है किन्तु अभियुक्तगण ने उनके पक्ष में ऐसा कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं करवाया हैं जिससे उनकी दलील मानी जा सके। जबकि विनियम 3.1.18 के अनुसार "पूर्वाविशिष्ट" सिद्धांत ऐसे योज्यको की विद्यमानता [illegible] लागू होता है, जैसे रंग, सुवासक, प्रति–आक्सीकारक, प्रतिकेकक, पायसीकारक और स्थायीकारक तथा खाद्य [illegible] परिरक्षक, जो ऐसी कच्ची सामग्री या अन्य संघटकों के उपयोग के परिणामस्वरूप होते हैं जिनमें इन योज्यको का उपयोग किया गया था। पूर्वाविशिष्ट के सिद्धांत को लागू करके [illegible] विद्यमानता साधारणतया तब तक अनुज्ञेय है, जब तक कि नियमों में प्रतिषिद्ध न हो परन्तु यह तब

Signature Not Verif

Digitally signed by Sanja
Date: 2025.12.11 10:40:
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

कि कच्ची सामग्री या अन्य संघटकों के माध्यम से पूर्वावशिष्ट सहित कुल योज्यक इस प्रकार अनुज्ञात अधिकतम मात्रा से अधिक न हो। अभियुक्तगण द्वारा पेश की गई दलील में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त नमूने में उक्त विनियम 3.1.18 की पालना की गई है अथवा नहीं। अभियुक्तगण अपनी दलीलो में यह भी स्पष्ट व्याख्या करने में विफल रहे है कि उनका उत्पाद किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम 2011 के विनियम 3.1.1 एवं Regulation No. 2.2.2 (5)(ii) of FSS Packaging and Labelling) Regulations 2011 की पूर्ण अनुपालना करता है जबकि उक्त दलीलों को साबित करने का भार अभियुक्तगण पर ही है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** ''Xotik Beverages Mango'' का विक्रय/निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 4 पर संयुक्त रूप से 30,000/-रू0 (अक्षरे तीस हजार रूपये) आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **13.10.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(संजय शर्मा)**
**न्याय निर्णयन अधिकारी एवं**
**अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay S
Date: 2025.12.11 10:40:46
Reason: SelfAttested